न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारीः— अर्पिता सोनी, आर.ए.एस.

प्र.सं.— 11/2020
जी.सी.एम.एस. : 2020/00133

1. लीलावती पत्नी घडसी राम जाति जाट निवासी रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
2. नन्द राम पुत्र मालू राम जाति जाट निवासी 70 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
3. दुला राम पुत्र लाधू राम जाति जाट निवासी 70 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
4. बलराज पुत्र देवी लाल जाति जाट निवासी 70 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
5. सोहन लाल पुत्र लाधू राम जाति जाट निवासी 70 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
6. मकबूल सिंह पुत्र तेजा सिंह जाति जटसिख निवासी 70 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

—प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व, रायसिंहनगर

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः—
1. श्री नरेन्द्र भादू, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. राजपैरोकार

—: निर्णय :—

दिनांक : 06.10.2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 70 आरबी के खाता सं. 86/83 के मु.नं. 40 की 1.265है. नहरी मय खाला लीलावती, खाता सं. 38/39 के मु.नं. 40 की 3.795है. नहरी बारानी मय खाला नन्दराम, खाता सं. 31/31 के मु.न. 40 में 0.633है. नहरी बारानी मय खाला दुलाराम, खाता सं. 54/65 के मु.नं. 51 में 1.582है. नहरी बारानी बलराज, खाता सं. 107/99 के मु.नं. 51 की 1.581है. नहरी खातेदारी भूमि सोहनलाल व खाता सं. 61/58 के मु.नं. 51 में 1.265है. नहरी खातेदारी भूमि मकबूल सिंह के नाम से हैं। प्रार्थीगण अपनी भूमि मु.नं. 40 के कि.नं. 5—6—15—16—25 में खाला के साथ साथ प्रत्येक में 1—1/2 बिस्वा व मु. नं. 51 के कि.नं. 5—6—15—16—25 प्रत्येक में 2—2 बिस्वा(पूर्वी पासा) रास्ता आबादी भूमि 70 आरबी से जोड़ने के लिए रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका/रिकार्ड जांच रिपोर्ट तलब की गयी।

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर की रिपोर्ट क्रमांक/1164 दिनांक 15.09.2020 के अनुसार चक 70 आर.बी. मु.नं. 40 कि.नं. 5 में 0.228है. नहरी मय .025है. खाला लीलावती के नाम, कि.नं. 6/.228है. नहरी मय .025है. खाला, 15/.228है. नहरी मय .025है. खाला, 16/.288है. नहरी मय .025है. खाला नन्दराम कि.नं. 25/.228है. बारानी मय .025है. खाला दुलाराम व मु.नं. 51 का कि.नं. 5/.253है. बारानी, 6/.253है. नहरी बलराज कि.नं. 15—16/.506है. नहरी सोहनलाल व कि.नं. 25/.253है. नहरी मकबूल सिंह के नाम मुताबिक जमाबन्दी दर्ज रिकार्ड हैं। मु.नं. 40 के कि.नं. 5—6—15—16—25 में खाले के साथ साथ मु.नं. 51 के कि.नं. 5—6—15—16—25 में मौके पर रास्ता चालू हैं। उक्त रकबा के संबंध में किसी न्यायालय का कोई स्थगन विवाद नहीं हैं।

अर्पिता
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2020.10.07 13:02:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

बहस वकील प्रार्थीगण की सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रकरण में प्रार्थीगण आपसी सहमति से रास्ता स्वीकार करवाना चाहते हैं। जिस संबंध में प्रार्थीगण के सहमति का शपथ पत्र पत्रावली पूर्व से ही मौजूद हैं। उक्त मु.नं. 40 के कि.नं. 5–6–15–16–25 में खाले के साथ साथ मु.नं. 51 के कि.नं. 5–6–15–16–25 में मौके पर रास्ता 40 वर्ष से चल रहा है, जो मौका पर चालू हैं। उक्त रास्ता स्वीकार कर किया जाता हैं तो प्रार्थीगण कोई राशी नहीं लेना चाहते हैं। अतः रास्ता स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया। रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर का अवलोकन किया। सरपंच ग्राम पंचायत भादवांवाला के पत्र दिनांक 08.07.2020 अनुसार गांव 70 आरबी से रायसिंहनगर तक आवागमन का एक मात्र रास्ता हैं, जो 40–50 वर्षो से आपसी सहमति से चल रहा हैं। जिसे सभी काश्तकार सहमति से स्वीकार करवाना चाहते हैं। रास्ता को स्वीकर करने हेतु निवेदन किया। चूंकि सभी खातेदार अपनी अपनी खातेदारी भूमि में रास्ता को आपसी सहमति से स्वीकार करवाना चाहते हैं। तथा रास्ता स्वीकृति के एवज में किसी प्रकार की मुआवजा राशि नहीं लेना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में लोकहित को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 70 आरबी के मु.नं. 40 के कि.नं. 5–6–15–16–25 में खाला के साथ साथ प्रत्येक में 1–1/2 (1.5 बिस्वा) बिस्वा व मु.नं. 51 के कि.नं. 5–6–15–16–25 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा (पूर्वी पासा) गैर. मुम. रास्ता स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर उक्तानुसार स्वीकृतशुदा गै.मु. रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 06.10.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

अर्पिता

(अर्पिता सोनी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2020.10.07 13:02:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner